**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

***निर्णय की तिथि: 31 जनवरी, 2024***

**जमानत आवेदन 3419/2022**

मोहम्मद रफी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: अधिवक्ता यशस्वी एस.के. चौकसी, अधिवक्ता अंकित सिंह, अधिवक्ता वसीम अकरम और अधिवक्ता विजय राजपूत।

बनाम

राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हितेश वाली, राज्य के लिए अति.लो.अभि. के साथ जाँ.अधि. उप.नि. रेणु महिला के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ/बाहरी और उप.नि. साधना, पुलिस थाना मंगोलपुरी।

**कोरमः**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन**

**<u>अमित महाजन, न्या.</u>**

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (**दं.प्र.सं.**) की धारा 439 के तहत दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (**भा.दं.सं.**) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (**पॉक्सो अधिनियम**) की धारा 4 और 6 के तहत पुलिस थाना मंगोल पुरी में दर्ज अपराधों के लिए प्राथमिकी सं. 973/2022 में नियमित जमानत देने की मांग की गई है।

2. यह आरोप लगाया गया है कि 28.07.2022 को, लगभग अपराह्न 3:00 बजे, जब अभियोक्त्री अपनी बहन के बच्चों के साथ घर लौट रही थी, तो आवेदक ने बच्चों को लिफ्ट के बाहर रहने को मजबूर किया और उसके बाद अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।

3. आगे यह आरोप लगाया गया है कि अगले दिन, यानी 29.07.2022 को, जब अभियोक्त्री घर पर अकेली थी, तो आवेदक आया और अभियोक्त्री के साथ पुनः जबरदस्ती संबंध बनाए और बाद में अभियोक्त्री को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके बाद आवेदक को 15.08.2022 को गिरफ्तार कर लिया गया।

4. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पेशे से एक बढ़ई है और संबंधित समय पर उसी सोसाइटी में काम कर रहा था जहां अभियोक्त्री रहती है और दोनों में बोलचाल होते थे।

5. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक की आयु लगभग 22 वर्ष है, और उसका अभियोक्त्री के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था और वह नियमित रूप से फोन पर बात करते थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभियोक्त्री द्वारा दिया गया बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि वह किसी 'रंजन' का उल्लेख की है, जिस पर अपराध करने का आरोप है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को गश्त के दौरान बीट अधिकारी द्वारा शरारतपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया था। बीट अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो किसी का सामना करने से बचने की कोशिश कर रहा था और जिस पर उसे संदेह हुआ और उसने उस व्यक्ति को रोका और उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में करने में समर्थ हो गया जिसकी तस्वीर उसे पुलिस थाना में अधिकारी द्वारा दिखाई गई थी।

7. राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदक को जमानत देने का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपने बयान में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।

8. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री ने पुलिस थाना और अदालत में भी आवेदक की पहचान अभियुक्त के रूप में की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

आवेदक को अभियोक्त्री द्वारा प्रदान की गई तस्वीर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक ने अभियोक्त्री के सामने खुद को 'रंजन' के रूप में प्रस्तुत किया और इसलिए, शिकायत में उसने उक्त नाम का उल्लेख किया है।

**<u>विश्लेषण</u>**

10. ***बिहार राज्य बनाम राजबल्लभ प्रसाद: 2017 (2) एस.सी.सी. 178,*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पॉक्सो के तहत अपराधों के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि, आरोप के बाद के चरण में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अदालत को पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 भी विचार करना होगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 निम्नानुसार हैः

> *"29. कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा जहां किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के तहत कोई अपराध करने या उकसाने या करने का प्रयास करने के लिए अभियोजित किया गया है, विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।"*

11. आरोप तय होने के बाद, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए, जो जमानत दिए जाने से पहले आवश्यक संतुष्टि की

सीमा को बढ़ाता है। न्यायालय को *प्रथम दृष्टया* अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सबूतों पर भरोसा किया गया है, उसका मूल्यांकन करना होगा।

12. पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आवेदन का निर्णय लेते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए; अवयस्क पीड़िता की आयु की तुलना में अभियुक्त की आयु, पीड़ित और अभियुक्त के बीच संबंध, यदि कोई हो, क्या अभियुक्त बार-बार अपराध किया है, जमानत पर छूटने के बाद अभियुक्त द्वारा पीड़ित को धमकाने की संभावना आदि।

13. मैंने वर्तमान मामले में दायर आरोप पत्र का अवलोकन किया है। वर्तमान मामला पूरी तरह से अभियोक्त्री की गवाही पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत किसी अपराध के लिए, मात्र अभियोक्त्री की गवाही ही अभियुक्त की दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। गवाही को पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। अभिलेख से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

क. आरोप यह है कि 28.07.2022 को अपराह्न 3 बजे अभियुक्त लिफ्ट में जबरदस्ती घुसा और अपराध किया। लिफ्ट एक व्यस्त आवासीय सोसायटी में लगाया गया है। हालांकि, किसी भी पड़ोसी का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है।

ख. अभियोक्त्री ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त के साथ उसकी बोलचाल थी क्योंकि उसने उसे अपना फोन नंबर दिया था। आरोपों के अनुसार अभियुक्त की तस्वीर भी अभियोक्त्री ने स्वयं प्रदान की थी। उक्त आरोप के बावजूद, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सी.डी.आर. नहीं रखा गया है कि आवेदक उस समय अभियोक्त्री के संपर्क में था।

ग. भले ही घटना व्यस्त आवासीय सोसायटी में हुई हो, लेकिन संबंधित समय पर घटना स्थल पर आरोपी की उपस्थिति स्थापित करने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

घ. कोई सबूत या सी.डी.आर. अभिलेख पर नहीं रखा गया है या आरोप पत्र का हिस्सा नहीं बनाया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि अभियुक्त संबंधित समय पर सोसायटी में मौजूद था।

ङ. भले ही आरोप है कि 28.07.2022 को पीड़िता अपनी बहन के बच्चों को लिफ्ट में ले जा रही थी और अभियुक्त ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर जाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन बच्चों का कोई बयान अभिलेख पर नहीं रखा गया है।

14. सोसायटी के बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इस स्तर पर संदेहास्पद प्रतीत होती है। बीट अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि उसने एक व्यक्ति को देखा जो सोसायटी के बाहर किसी का सामना करने से बचने की कोशिश कर

रहा था जहां घटना हुई थी और उसे दिखाए गए फोटो के आधार पर उसकी पहचान की गई थी।

15. किसी भी आरोप की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है, जो इस स्तर पर किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। पॉस्को अधिनियम की धारा 29 के तहत परिकल्पित उपधारणा, इस स्तर पर, मेरी राय में, संतुष्ट नहीं करती है।

16. पीड़िता ने खुद कहा है कि वह अभियुक्त के साथ नियमित संपर्क में थी। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्त बार-बार अपराध करने वाला है या उसका कोई पूर्ववृत्त नहीं है। अभियुक्त द्वारा पीड़ित को धमकी देने या अभियुक्त के न्यायाधीश से भागने की किसी भी आशंका को उचित शर्तों के साथ दूर किया जा सकता है।

17. इस न्यायालय के विचार में, जब ऊपर दिए गए विचारों की जाँच की जाती है, तो वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ आवेदक को जमानत देने के पक्ष में होंगी।

18. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणागुण पर किसी भी अभिव्यक्ति के बिना, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है और आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विद्वान विचारण न्यायालय/कार्यकारी महानगर दंडाधिकारी की संतुष्टि के लिए ₹

20,000/- की राशि की जमानतनामा और इतनी ही राशि की प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है:

i. आवेदक अपनी रिहाई पर संबंधित जांच अधिकारी/थाना प्रभारी को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करेगा और इसे हर समय चालू रखेगा।

ii. आवेदक अनुचित स्थगन नहीं लेगा और हर तारीख को विचारण न्यायलय की कार्यवाही में भाग लेगा।

iii. आवेदक संबंधित संबंधित जांच अधिकारी/थाना प्रभारी को सूचित किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।

iv. आवेदक किसी भी तरह से शिकायतकर्ता/पीड़िता या किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा।

v. आवेदक उस इलाके में नहीं रहेगा या वहां नहीं जाएगा जहां पीड़िता रहती है;

vi. आवेदक को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जहां वह रिहा होने के बाद रहेगा, जो उस इलाके से कम से कम 5 किमी दूर होना चाहिए जहां पीड़िता रहती है, विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अधीन।

19. आवेदक के खिलाफ कोई प्राथमिकी/डी.डी. प्रविष्टि/शिकायत दर्ज होने की स्थिति में, जमानत रद्ध करने की मांग के द्वारा निवारण की मांग करना राज्य के लिए खुला होगा।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई है और इसे विचारण के परिणाम को प्रभावित नहीं करना चाहिए और मामले के गुणागुण पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में भी नहीं लिया जाना चाहिए।

21. जमानत आवेदन की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

**अमित महाजन, न्या.**

**31 जनवरी, 2024**

***"एस.के."***

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*